

## नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 29/01/2026 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री दीन बंधु सिंह, विकास आयुक्त नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 29/01/2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

- A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-
1. श्री पारस मणि त्रिपाठी, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (वाणिज्य विभाग के नॉमिनी, 23/09/2008 के पत्र के अनुसार)।
  2. श्री सैबल रॉय, सहायक आयुक्त, कस्टम्स, नोएडा आयुक्तालय (नोएडा कस्टम्स आयुक्तालय, गौतम बुद्ध नगर के आयुक्त के नामित प्रतिनिधि)।
  3. श्रीमती अलका मिश्रा, कर प्राप्ति अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा (नोएडा के प्रधान आयकर आयुक्त के नामित प्रतिनिधि)।
  4. श्री विनय कुमार, प्रबंधक, नोएडा प्राधिकरण (न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नामित प्रतिनिधि)।
- B. इसके अलावा, बैठक के दौरान सर्वश्री (i) किरण मोहन मोहाडीकर, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) रविकेश त्रिपाठी, निर्दिष्ट अधिकारी, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (iii) आमिर इकबाल, सहायक विकास आयुक्त, (iv) भारत भूषण, सहायक और (vi) मनोज कुमार, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एनएसईजेड भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।
- C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-
- D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

### (1) दिनांक 12/01/2026 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 12/01/2026 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ और न ही कोई आपत्ति प्राप्त हुई है। अनुमोदन समिति ने इसका संज्ञान लिया और तदनुसार, 12/01/2026 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

**(2) एएसी प्रोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - मौजूदा अनुमोदित अधिकृत संचालनों के ITC(HS) कोड में परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव।**

2.1 कंपनी के निदेशक श्री के.एन. श्रीवास्तव अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए तथा प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि उन्हें जारी लेटर ऑफ अप्रूवल (LOA) में उल्लिखित कोड 85161000 है, जो तत्काल भंडारण वाले जल हीटर तथा इमर्शन हीटरों पर लागू होता है। समय के साथ इन हीटरों का उपयोग विकसित हो गया है तथा अब यह केवल सेमीकंडक्टर उद्योग तक सीमित है। ये हीटर सेमीकंडक्टर वाफर्स, इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत परिपथों तथा फ्लैट-पैनल डिस्प्ले के उत्पादन के लिए अविभाज्य हैं। इस विशेष उपयोग को देखते हुए, वे ITC HS कोड को 84869000 एवं 99030132 में पुनर्वर्गीकृत करना चाहते हैं।

2.2 यह बताया गया कि NSEZ कस्टम्स ने इस मामले में अपनी टिप्पणियाँ दी हैं और कहा है कि "चैप्टर हेडिंग 8516 आइटम यानी इलेक्ट्रिक इंस्टैंटेनियस वॉटर हीटर को सही और विशेष रूप से कवर करता है और उक्त आइटम पहले से ही चैप्टर के सबहेडिंग 85161000 के तहत क्लासिफाइड है, जबकि चैप्टर हेडिंग 8486 उन मशीनों और उपकरणों को कवर करता है जिनका उपयोग विशेष रूप से या मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर बाउल्स या वेफर्स, सेमीकंडक्टर डिवाइस के निर्माण के लिए किया जाता है। और चैप्टर का सबहेडिंग 84869000 इसके पार्ट्स और एक्सेसरीज को क्लासिफाई करता है। जहाँ तक यूनिट द्वारा सुझाए गए एक और चैप्टर हेडिंग 9903 की बात है, यह देखा गया है कि भारतीय कस्टम्स टैरिफ एक्ट के तहत, चैप्टर 99 प्रदान नहीं किया गया है। इसलिए, यूनिट के उपरोक्त सबमिशन में दी गई जानकारी के अनुसार और उपरोक्त तथ्यों और 'हार्मनाइज्ड सिस्टम की व्याख्या के लिए सामान्य नियमों' को ध्यान में रखते हुए, ऐसा लगता है कि यूनिट द्वारा निर्मित/निर्यात किया गया आइटम (यानी इलेक्ट्रिक इंस्टैंटेनियस वॉटर हीटर) CTH 85161000 के तहत उचित/विशेष रूप से क्लासिफाइड है।"

2.3 अनुमोदन समिति ने एजेंडा पर विस्तृत चर्चा की तथा उचित विचार-विमर्श के बाद, वाणिज्य विभाग एवं DGFT से इस मामले में स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्देश दिया।

**(3) बिक्रम एक्सपोर्ट्स - LOA का नवीनीकरण एवं प्रदर्शन की निगरानी।**

3.1 अनुमोदन समिति ने 2024-25 तक जमा की गई APR के आधार पर इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और इकाई द्वारा सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा आय (NFE) प्राप्ति नोट की। अनुमोदन समिति ने CA द्वारा प्रमाणित वैल्यू एडिशन अचीवमेंट की विवरण से यह भी देखा कि इकाई ने 2021-22 को छोड़कर (जहां यूनिट ने 3.39% हासिल किया) बाकी सभी सालों में USD में तय नॉम्स के अनुसार वैल्यू एडिशन हासिल किया है।

3.2 अनुमोदन समिति ने एजेंडा पर विस्तृत चर्चा की तथा उचित विचार-विमर्श के बाद, SEZ नियम, 2006 के नियम 19(6A)(3) के अनुसार, पांच साल के चौथे ब्लॉक की बाकी अवधि यानी 27.05.2030 तक LOA की वैधता नवीनीकृत करने का निर्णय लिया। अनुमोदन समिति ने आगे इकाई द्वारा मूल्य संवर्धन प्राप्ति तथा किसी दंड की लगाने से संबंधित मामले की फाइल पर जांच करने का निर्देश दिया।

**(4) सी एंड एस इलेक्ट्रिक लिमिटेड - LOA में अतिरिक्त अधिकृत संचालनों को सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव।**

4.1 अनुमोदन समिति ने एजेंडा पर विस्तृत चर्चा की तथा उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई के "(i) विद्युत इंसुलेटर (किसी भी सामग्री) (85469090) (50000 पीस/वर्ष); (ii) इंसुलेटर पोर्सिलेन (85462090) (25000 पीस/वर्ष) के विनिर्माण" को LOA में अधिकृत संचालन के रूप शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया।

**(5) कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड - निदेशकों में परिवर्तन।**

5.1 अनुमोदन समिति ने एजेंडा पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, दिनांक 18/10/2021 के निर्देश संख्या 109 के अनुसार कंपनी के निदेशक में परिवर्तन को संज्ञान में लिया।

**(6) गार्मैक्स (इंडिया) अपैरल एलएलपी - LOA का नवीनीकरण एवं प्रदर्शन की निगरानी।**

6.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री तरसेम सरपाल अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए तथा प्रस्ताव की व्याख्या की।

6.2 अनुमोदन समिति ने 2023-24 तक प्रस्तुत APR के आधार पर इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की तथा इकाई द्वारा सकारात्मक NFE आय प्राप्ति नोट की। अनुमोदन समिति ने देखा कि उत्पादन प्रारंभ के बाद, इकाई ने 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान कोई निर्यात नहीं किया, हालांकि इकाई ने 2024-25 एवं 2025-26 (04.06.2025 तक) के दौरान क्रमशः 495.52 लाख रुपये एवं 56.20 लाख रुपये के निर्यात किए हैं।

6.3 अनुमोदन समिति ने आगे देखा कि इकाई को NSEZ में प्लॉट संख्या 142, क्षेत्रफल 8100 वर्ग मीटर, आवंटित किया गया है। इकाई ने पहले पांच वर्षों के ब्लॉक के दौरान 12188 लाख रुपये के निर्यात का अनुमान दिया था, जबकि उक्त अवधि में केवल 979.76 लाख रुपये के निर्यात ही किए गए हैं। यह दर्शाता है कि इकाई का प्रदर्शन पूर्व अनुमोदित अनुमानों एवं आवंटित क्षेत्र के अनुरूप नहीं है।

6.4 अनुमोदन समिति ने एजेंडा पर विस्तृत चर्चा की तथा उचित विचार-विमर्श के बाद, SEZ नियम, 2006 के नियम 19(6A)(3) के अनुसार, LOA की वैधता को दो वर्ष की अवधि यानी 06/06/2025 से 04/06/2027 तक नवीनीकृत करने का निर्णय लिया। LOA का आगे का नवीनीकरण उक्त विस्तारित अवधि में इकाई के प्रदर्शन के आधार पर विचार किया जाएगा।

**(7) गोल्डन नेभराज मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड - NSEZ में इकाई स्थापित करना।**

7.1 यह बताया गया कि मेसर्स गोल्डन नेभराज मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने फिल्टर खैनी/चबाने वाला तंबाकू बनाने के लिए NSEZ में एक यूनिट लगाने के लिए आवेदन दिया है। अप्रूवल कमेटी ने पाया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 6288/FSDA/FOOD/2012 तारीख 04/10/2012 के ज़रिए, उत्तर प्रदेश राज्य में, गुटखा और पान मसाला, जिसमें तंबाकू या निकोटीन सामग्री के रूप में मौजूद हो, चाहे वह किसी भी नाम से बाज़ार में उपलब्ध हो, उसके निर्माण, भंडारण,

बिक्री या वितरण पर रोक लगा दी है। हालांकि, आवेदक ने इस संबंध में कोई अंडरटेकिंग जमा नहीं की है।

7.2 अनुमोदन समिति ने देखा कि फॉर्म-F की बिना साइन की हुई कॉपी दी गई है और आवेदक ने दोनों डायरेक्टर्स का पैन भी सबमिट नहीं किया है और फंड का सोर्स भी स्पष्ट नहीं किया है। इसके अलावा, आवेदन में कुछ अन्य कमियां भी देखी गई हैं, जिन्हें आवेदक द्वारा सुधारना आवश्यक है। अनुमोदन समिति ने आगे देखा कि आवेदक ने प्रस्तावित निर्मित उत्पाद के लिए कच्चे माल के रूप में हैवी लिक्विड पैराफिन ऑयल (27101990) दर्शाया है, तथापि इसके उपयोग स्पष्ट नहीं किए गए हैं।

7.3 अनुमोदन समिति ने एजेंडा पर विस्तृत चर्चा की तथा उचित विचार-विमर्श के बाद, आवेदक से एजेंडा में देखी गई कमियों पर उत्तर प्राप्त करने, कच्चे माल के उपयोग पर स्पष्टीकरण तथा उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना के पालन करने एवं गुटखा एवं पान मसाला का निर्माण न करने के प्रभाव हेतु प्रतिज्ञा पत्र मांगने के निर्देश के साथ प्रस्ताव को स्थगित कर दिया।

**(8) मंडप इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड - LOA में अतिरिक्त अधिकृत संचालनों को सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव।**

8.1 श्री अश्वनी मदान एवं श्री अर्णव मदान, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए तथा प्रस्ताव की व्याख्या की।

8.2 अनुमोदन समिति ने देखा कि इकाई ने अभी तक अपना निर्माण उत्पादन प्रारंभ नहीं किया है। इसके अलावा, प्रस्तावित व्यापारिक वस्तु उनके निर्माण वस्तु के समान है।

8.3 अनुमोदन समिति ने एक ही LOA में निर्माण एवं व्यापारिक गतिविधियों की अनुमति के मामले में विस्तृत विचार-विमर्श किया तथा देखा कि SEZ नियम, 2006 का नियम 22 प्रदान करता है कि व्यापार एवं निर्माण दोनों गतिविधियों में संलग्न इकाई को व्यापार एवं निर्माण गतिविधियों के लिए अलग-अलग रिकॉर्ड रखने होंगे। अनुमोदन समिति ने निर्णय लिया कि यदि कोई निर्माण इकाई व्यापारिक गतिविधियों के समावेश के लिए आवेदन करना चाहती है, तो इकाई व्यापारिक गतिविधियों के लिए अलग LOA के लिए आवेदन करेगी, जिससे अलग-अलग खाते एवं रिकॉर्ड रखना एवं निगरानी आसान होगी।

8.4 अनुमोदन समिति ने एजेंडा पर विस्तृत चर्चा की तथा उचित विचार-विमर्श के बाद, व्हील रिम्स के व्यापार को वर्तमान LOA में समावेश के प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया तथा इकाई को सुझाव दिया कि वे व्यापारिक गतिविधियों के लिए अलग LOA के लिए आवेदन कर सकती हैं।

**(9) इंडिका इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड - अधिकृत संचालनों के अंतर्गत अनुमोदित वस्तु के लिए अतिरिक्त ITC(HS) कोड का समावेश।**

9.1 अनुमोदन समिति ने एजेंडा पर विस्तृत चर्चा की तथा उचित विचार-विमर्श के बाद, फोम पार्ट्स के विरुद्ध अतिरिक्त HS कोड अर्थात् 94042990 के समावेश का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।

**(10) SEZ नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार 2024-25 के लिए प्राप्त APR के आधार पर वार्षिक प्रदर्शन की निगरानी।**

10.1 अनुमोदन समिति ने एजेंडा पर विस्तृत चर्चा की तथा उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रत्येक इकाई के ब्लॉक अवधि के पूर्ण विवरण का उल्लेख करते हुए प्रदर्शन प्रस्तुत करने का निर्देश देकर प्रस्ताव को स्थगित कर दिया।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।



(पारस मणि त्रिपाठी)  
संयुक्त विकास आयुक्त



(दीन बंधु सिंह)  
विकास आयुक्त